न्यायालय नायब तहसीलदार जालोर

सरकार बनाम हीराराम S/o आरताजी-रेबारी नि० नरसाणा............
मुकदमा नं. 37/2017
धारा 91 LR ACT 1956
निर्णय दिनांक 30.01.2018

पत्रावली आज पेश हुई गैर सायल हीराराम s/o आरताजी..........उपस्थित, पटवारी हल्का नरसाणा की रिपोर्टानुसार मौजा नरसाणा के खसरा नं. ....601........ रकबा 0.04........ किस्म .... भुमि पर संवत् 2074 मे कब्जा रूप मे अतिकमण करने पर गैर सायल को धारा 91 (3) के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया, गैर सायल द्वारा अपने कब्जे की वैधता मे कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया। अतः राज0 भू0रा0 अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाकर जुर्माना ग्राम की दर ..5.00. रूपये प्रति हैक्टर के हिसाब से ..0.04...... हैक्टर की दर ..0.20..रूपये का पचास गुणा से ...10/-.........रूपये अक्षरे ...दस रूपये.......... आरोपित किया जाता है। मौके पर से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है पटवारी हल्का को बेदखल हेतु व टी.आर.ए. मांग कायमी हेतु लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.01.2018 को सुनाया गया।

नायब तहसीलदार जालोर
(श्री पुखाराम मीणा)
नायब तहसीलदार,जालोर
(पुखाराम मीणा)